न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा , आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 307/13 (वाद)

1. श्री तुलसीराम पिता नारायण सुथार निवासी भानसोल तह. मावली।
2. श्री धुलीराम पिता नारायण सुथार निवासी भानसोल तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मन्दिर तहसील वृन्दावन, जिला मथुरा, उत्तरप्रदेश जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन, तह. वृन्दावन, जिला मथुरा (उत्तरप्रदेश)

...............प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री पंकज औदिच्य, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.

निर्णय

दिनांक : 16.04.2018

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा भानसोल की साबिक आराजी नम्बर 1234, 1235 किता 2 रकबा 10 बिस्वा पूर्व में रूपा वल्द भेरा सुथार साकिन सुथारों का ढाणा के नाम पर खातेदार की हैसियत से दर्ज थी। जिसका इन्द्राज सम्वत् 1988 की जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त मेवाड में दर्ज था उस समय यह गांव ठिकाना देलवाडा के अन्तर्गत दर्ज था। उक्त दोनों आराजीयात के हाल आराजी नम्बर 1923 रकबा 14 बिस्वा हैं। सबुत में मिलान खसरा प्रस्तुत हैं। हम वादीगण पूर्व के खातेदार श्री रूपा के उत्तराधिकारी हैं जिसका इन्द्राज भी मिलान खसरा में मौजूद हैं।
2. इस तरह वादीगण का उक्त हाल आराजी नम्बर 1923 रकबा 14 बिस्वा पर संवत् 1988 से हमारा व हमारे पूर्वजों का कब्जा खातेदार काश्तकार की हैसियत से चला आ रहा हैं।
3. उक्त आराजी कभी भी प्रतिवादी के खातेदारी में नहीं रही। केवल भोग उनके नाम पर था लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना हम वादीगणों को सूचना दिये हम वादीगणों के पूर्वजों का नाम खातेदारी से हटा दिया एवं प्रतिवादी के खाते दर्ज किया जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को इस प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह का परिवर्तन किया है वह हमारे मुकाबले शून्य व बेअसर है यह हमारें अधिकारों पर किसी

प्रकार का विपरित असर नहीं डालता हैं। हम वादीगण आराजी नम्बर 1923 रकबा 14 बिस्वा को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर अंकन कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी के खातेदारी में जमीन रहने से मुझ वादीगण को भारी नुकसान है कभी भी प्रतिवादी उक्त आराजी को मेरे से छिन सकते है इसलिए प्रतिवादी के विरूद्व वाद प्रस्तुत हैं। हम वादीगण का मजबुत प्राईमाफैसी केस है क्योंकि पूर्व के सेटलमेन्ट में यह आराजी स्वयं के पूर्वजों के खातेदारी में थी इसलिए पुनः हमारे खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी हैं।

4. सेटलमेन्ट अधिकारियों ने भी यह लिखा था कि यह आराजीयात पूर्व में वादीगण के खातेदारी में दर्ज है इसलिए इनको मन्दिर मूर्ति की खातेदारी में दर्ज नहीं की जावें। पूर्व के रेकर्ड के अनुसार ही पूर्व के खातेदार के नाम पर ही रखी जावें फिर भी उन्होनें उक्त आराजी वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम पर दर्ज कर दी है इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना पडा हैं।
5. बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 25.09.2013 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी को उक्त वादग्रस्त आराजीयात को हमारे नाम पर कराने को कहा तो इन्कार हो गये जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि मौजा भानसोल तह. मावली की आराजी नम्बर 1923 रकबा 14 बिस्वा जो वर्तमान में प्रतिवादी के नाम दर्ज है उसे प्रतिवादी के नाम से हटाकर हम वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर हमारा नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी में अंकन फरमाया जावें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि – वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 के तहत् आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 25.09.2013 को वाद वर्णित आराजीयात के पुनः मुझ प्रतिवादीगण को खाते कराने के लिए कहे जाने व मुझ प्रतिवादी द्वारा इंकार किये जाने के आधार पर वाद कारण उत्पन्न होने का कथन किया है जो कि पूरी तरह गलत हैं। वाद वर्णित आराजीयात मन्दिर श्री यशोदानन्दनजी के खातेदारी की आराजीयात होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। जो कि शाश्वत् नाबालिग हो अवस्यक है, ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयातके खाते कराये जाने बाबत् मुझ प्रतिवादी पूजारी द्वारा इंकार किये जाने पर मन्दिर श्री यशोदानन्दन जी स्थान वृन्दावन के विरूद्व किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। वाद वर्णित आराजीयात के पुनः खातेदारी से निरस्त

कराये जाने व मन्दिर श्री यशोदानन्दन जी के खातेदारी हैसियत से अंकन किये जाने को लगभग 40 वर्ष हो चूके हैं। अतः इतने समय बाद वादीगण द्वारा उक्त अंकन बाबत् उजर उठाते हुए प्रस्तुत किया गया वाद अवधि बाधित हो खारिज होने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि पार होने व वाद कारण के अभाव में मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

8. प्रतिवादी सं. 1 के प्रार्थना पत्र का वादी द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र के तहत् वादी के वाद को देखा जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् नहीं आता हैं। वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के नाम पर नहीं होने से राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। प्रतिवादी के उजर पर तनकी कायम कर निर्णय किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क)जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा वाद खातेदारी घोषणा का प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में यशोदाजी मन्दिर स्थान वृन्दावन खातेदार के नाम पर दर्ज हैं। वादी द्वारा वाद पत्र के माध्यम से वर्णित भूमि पूर्व में किशनसिंह पिता रूपसिंह के नाम पर दर्ज होना बताया। जो सेटलमेन्ट के बाद श्री यशोदानन्दन जी मन्दिर स्थान वृन्दावन के नाम दर्ज हो गई हैं।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के कलम सं. 5 में सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा उनके पूर्वजों की खातेदारी भूमि को बिना सूचना दिये खातेदारी से हटाकर मन्दिर मूर्ति के नाम परिवर्तन करने का कथन किया है जबकि वादी द्वारा घोषणा का वाद पेश किया जिसमें सेटलमेन्ट अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। उक्त घोषणात्मक वाद में राज्य सरकार जरिये भूमिधारी के रूप में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार हैं। जिसे भी प्रकरण में वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कलम सं. 10 में वाद कारण को वर्णित करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम कराने को कहा लेकिन उनके द्वारा इन्कार किया। वाद में प्रतिवादी मूर्ति श्री यशोदानन्दन है, जो कि शाश्वत नाबालिग हैं। अतः पुजारी द्वारा उक्त भूमि को कानूनन हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिवादी मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी मन्दिर के विरूद्व कोई वाद कारण प्रकट नहीं होता हैं। अतः राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद चलने योग्य नहीं होने से वाद विधि द्वारा विरूद्व होने से एवं प्रतिवादी मूर्ति श्री यशोदानन्दन मन्दिर के विरूद्व वाद कारण प्रकट नहीं होने से वाद बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री तुलसीराम पिता नारायण सुथार निवासी भानसोल तह. मावली।
2. श्री धुलीराम पिता नारायण सुथार निवासी भानसोल तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मन्दिर तहसील वृन्दावन, जिला मथुरा, उत्तरप्रदेश जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन, तह. वृन्दावन, जिला मथुरा (उत्तरप्रदेश)

...............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 307/13 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.04.2018 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली